रजिस्ट्री सं० डी० 221

1-1 सितम्बर

REGISTERED No D. 221

(B)

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 139] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 2, 1969/भाद्र 11, 1891

No. 139] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 2, 1969/BHADRA 11, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

RAJYA SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd September 1969

No. RS. 1/3/69-L.—The following Order by the President, dated the 30th August, 1969, is published for general information :—

"In exercise of the powers conferred upon me by sub-clause (a) of clause (2) of article 85 of the Constitution, I hereby prorogue the Rajya Sabha.

V. V. GIRI,
President."

NEW DELHI;
the 30th August, 1969.

B. N. BANERJEE, Secy.

राज्य सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 सितम्बर 1969

सं० आर० ए० 1/3/69-एस०:—राष्ट्रपति द्वारा दिया गया निम्नलिखित आदेश दिनांक 30 अगस्त, 1969 आम सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है :—

"संविधान के अनुच्छेद 85 के खण्ड (2) के उपखण्ड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं एतद् द्वारा राज्य सभा का सत्रावसान करता हूं।

नई दिल्ली;

30 अगस्त, 1969

वी० वी० गिरि,

राष्ट्रपति"

वी० एन० बनर्जी, सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1969